न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 51/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/81

अनवान

1. शिवलाल पिता चम्पालाल जाट, निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल काबरा, निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2/2026	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा जारी किया हुआ है एवं प्रभावशील है जिसमें वादी की लिखित सहमती है। विधि के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे के सम्बंध में राजस्व न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस प्रकार वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष विधि द्वारा वर्जित है इस बिन्दु पर कई महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टान्त है। साथ ही खनन पट्टे के सम्बंध में कार्यवाही के लिए अधिनियम 1957 में उपचार व प्रावधान उपलब्ध हो ऐसी दशा में जहां विशेष उपबन्ध हो तो यह वाद न्यायालय आप में विधि द्वारा वर्जित है। उक्त खनन पट्टे के स्वीकृती एवं खनन कार्य के लिए वादी ने दिनांक 10/02/2009 को तत्कालीन पटवारी पर वादी की उपस्थिति में लिखित सहमती प्रदान की हो ऐसी दशा में भी खनन हेतु एक बार सहमती प्रदान करने के बाद उसे विड्रो नहीं की जा सकती है जिससे भी यह वाद विधि द्वारा वर्जित है इस सम्बंध में कई महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टान्त है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वाद हेतुक (वाद कारण) का उल्लेख नहीं हो ऐसी दशा में भी वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। वादी का वाद पत्र अवैध खनन के लिए है जबकी विपक्षी की विधिवत खनन लीज है जिसके दस्तावेज पेश है	

सहायक कलक्टर

जिस पर सिविल न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी (वादी) द्वारा आपत्ति व जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (वादी) ने आपत्ति में अंकन किया कि विपक्षी ने कौनसे आदेश व किस संहिता का आदेश पेश किया अंकित नही किया जिससे आवेदन खारीज होने योग्य है। प्रकरण में विपक्षी (प्रतिवादी) ने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र पेश नही किया है जिसने प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

वादी ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में कौनसी आराजियात के लिए सहमति दी है अंकित नही है। प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं मोगिम है। वादवर्णित आराजियात कृषि भूमि है जो जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है। विपक्षी ने न्यायालय आप मे विभाजन का वाद पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 77/22 जिससे आवेदन खारीज योग्य है। सहमती का लिखित होना एवं पंजीकृत होना आवश्यक है, पटवारी हल्का को कोई सहमति कराने के विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादवर्णित आराजियात कृषि भूमि होकर वादी के 1/4 हिस्सेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादी का अवैध माईनिंग का अधिकार नही है जिससे राजस्व न्यायालय सुनवाई का अधिकार रखता है। अतिरिक्त कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किया है। दोनो पक्षो की साक्ष्य होने के उपरान्त ही गुणो अवगुणो पर प्रकरण का निस्तारण होगा इस स्तर पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा भी पेश नही किया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सपरिव्यय खारीज फरमाया जाए।

प्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कि गई जिसमें अंकन किया कि वादी एवं तात्कालीन सभी खातेदारान् ने वाद में वर्णित आराजीयात खनन कार्य करने हेतु दिनांक 19/01/2007 को सहमति पत्र निष्पादित कर जारी किया। तपश्चात पटवारी से सत्यापित कराकर एक सहमति पत्र दिनांकित 10.02.2009 को जारी की। स्वंय वादी ने लिखित सहमति जारी करके खनन लीज धारक को खनन कार्य हेतु अनुमति जारी कर चुका है और सहमति के आधार पर भूमि का भौतिक कब्जा खनन लीज धारक को सौपा गया। उक्त सहमति आज भी लगातार है,

जारी है और सहमति का उल्लंघन नही हुआ है तथा खनन पट्टाधारी उक्त सहमति से मौके पर माईनिंग ऑपरेशन कर रहा है। ऐसी स्थिति मे वादी को कोई नया कॉज ऑफ एक्शेन अर्थात कारण वाद ही उत्पन्न नही हुआ है। इस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 के नियम 11 (ए) के तहत कि जंहा कारण वाद हो नहीं बनता है, वंहा वाद प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाना अनिवार्य है।" लागु होता है। वाद में वर्णित आराजीयात पर खनन कार्य हो रहा है। जिसका खनन पट्टाधारी खनन विभाग एवं राज्य सरकार को विधिनुसार राजस्व का एवं रॉयल्टी का भुगतान कर रहा है। और विधिनुसार ऐसी भूमि जिस पर खनन कार्य हो रहा है। उसे कृषि भूमि नहीं माना जा सकता है। क्योंकि ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे कृषि भूमि की परिभाषा जो कि धारा 5 की उपधारा 24 में दी गई है, में नही आती है। क्योकि भूमि का खनन उद्देश्य हो गया है और भूमि की प्रकृति बदल चुकी है और जब भूमि की प्रकृति बदल गई है तो वो कृषि भूमि नहीं रह गई है। इसलिए वादी का कृषि भूमि बताकर राजस्व न्यायालय से इन्जेक्शन की मांग करना, गलत, अवैध एवं गैर प्रवर्तनीय है। क्योकि गैर कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु नहीं होता है। इसलिए इस वाद को सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स एस.ए.एस.आर.के. मार्बल उद्योग वाले मामले में स्पष्ट किया है। इस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 के नियम 11 की उपधारा डी के अनुसार जंहा वाद कानून द्वारा वर्जित हो, वंहा वाद को तुरन्त निरस्त किया जायेगा। पूर्णतया लागु होता है। इस कारण भी वादी का वाद विशेष हजे खर्चे पर खारिज किये जाने योग्य है। श्रीमान् से निवेदन है कि खनन का अधिकार इममुवेबल प्रोपटी राई है। इसका विवाद सिविल नेचर का है। खनन अधिकार, खनन लीज यह सब भूमि से जुडे प्रोपर्टी राईट्स है। इन अधिकारो मे से किसी भी अधिकार को चुनौती राजस्व न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। क्योकि यह एक सिविल प्रकृति का मुद्दा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसे सिविल राईट माना है। इस कारण भी वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए है –

1. 2025 डी.एन.जे. पेज संख्या 74 (राजस्थान उच्च न्यायालय)
2. 1997 ए.आई.आर. (सुप्रीम कोर्ट) 2467
3. 2017 ए.आई.आर. (सी.डब्ल्यू.सी.) पेज संख्या 2653

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. रायपुर

4. 2019(3) डब्ल्यू.एल.एन. पेज संख्या 104

5. 2013 सुप्रीम कोर्ट (केरल) 866

विपक्षी (वादी) अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस के जवाब में निवदेन किया कि दिनांक 19.01.2007 को वादी द्वारा कोई सहमती नहीं लिखी गयी है। तथाकथित सहमती फर्जी होकर कुटरचित है। खनन की सहमती खनन नियमो के अनुसार प्रोपर स्टाम्प पर होकर पंजीकृत होना आवश्यक है। तथाकथित सहमती फर्जी होकर कुटरचित है तथा पटवारी हल्का को सहमती तस्दीक करने का विधि में कहीं प्रावधान नही है। विधि अनुसार अगर खनन स्वीकृत हो भी गया तो बिना लिखित सहमती के अभाव में प्रतिवादीपक्ष खनन नही कर सकते है। एल०आर०एक्ट की धारा 98 के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय के द्वारा खातेदार की भुमि का मुआवजा निश्चित किये जाने का विधि में प्रावधान है, प्रतिवादीपक्ष को सक्षम जिला कलेक्टर महोदय के पास आवेदन प्रस्तुत कर वादी के खातेदारी कि भुमि का मुआवजा निश्चित कराना आवश्यक है। हस्तगत वाद किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नही है. प्रतिवादीगण का आवेदन ओदश 7 नियम 11ए सी०पी०सी० कि श्रेणी में नही आता है। तथा प्रतिवादीपक्ष द्वारा वादी के सहखातेदारी कि आराजी में जैसे ही माईनिंग करना आरम्भ किया वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी सहखातेदार को अधिकार नहीं है कि किसी भी सहखातेदार के विरुद्ध ऐसा कृत्य करे जिससे उसके हक हिस्से पर बुरा प्रभाव पडता हो। हस्तगत प्रकरण में जमाबन्दी का अवलोकन करने पर स्पष्ट जाहीर है कि उक्त भुमि कृषि भुमि है, व राजस्व जमाबन्दी में माईनिंग लिज का कोई हवाला नही है तथा उक्त भुमि सहहिस्सेदारी की होने से प्रतिवादी ओमप्रकाश व रामपाल ने न्यायालय हजुर के समक्ष विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट का वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 77/2022 है जिससे स्पष्ट जाहीर है कि हस्तगत भूमि कृषि भुमि है। न्यायालय आप द्वारा अगर जमाबन्दी का मुलाईजा किया जायेगा तो स्पष्ट जाहीर होगा कि उक्त भूमि का वर्णन माईनिंग लीज में नहीं है। जब माईनिंग लीज में उक्त आराजी का अंकन नहीं है तो किस आधार पर उक्त भुमि कृषि योग्य भूमि नहीं रही है। लेकिन प्रतिवादी ने न्यायालय आपको भ्रमित करने के आशय से ये तथ्य अंकित किये है। उक्त भूमि कृषि भुमि है तथा माईनिंग के लिये वादी कि कोई पंजीकृत सहमती नहीं है जिससे

सहायक कलक्टर
[illegible]

भी उक्त प्रार्थना पत्र स्वत खारिज होने योग्य है। काश्तकारी अधिनियम कि धारा 5 के अनुसार उक्त भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। जिससे भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद वाद का गुणो अवगुणो पर निस्तारण होगा। जिससे प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। सिविल न्यायालय को कृषि भुमि के लिये कोई अधिकारीकता प्राप्त नहीं है जिससे भी आवेदन खारिज होने योग्य है। उक्त आराजियात कृषि भुमि है तथाकथित सहमती अपंजीकृत होकर प्रोपर स्टाम्प पर नही है तथा आराजी संख्या 811 का भी तथाकथित सहमती में हवाला नहीं है, वादी ने स्वतंत्र कोई सहमती नहीं दी. प्रतिवादीगण द्वारा अगर धोखे से कोई सहमती ली गई है, तो उसके लिये वादी किसी भी प्रकार से स्टोप्ड नही है, ला ऑफ स्टोप्ड के सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में लागु नही होते है तथा प्रतिवादीपक्ष का जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद दोनों पक्षो कि साक्ष्य के उपरान्त तनकी बनाकर इस तथ्य को तय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस में जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किए है वह इस प्रकरण म लागु नही होतें, अप्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किए जो निम्न है–

1. आर.आर.टी. 2010 पार्ट 2 पेज संख्या 1146–1151
2. आर.आर.टी. 2005 पार्ट 2 पेज संख्या 1117–1126

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र को ही बहस के रूप में निवेदन किया गया।

विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में आराजी के सम्बन्ध में कोई वर्णन नही किया गया। जमाबन्दी में खनन का अंकन नही है। प्रकरण संख्या 77/22 पुराना वाद है जो कृषि आराजियात के विभाजन किये जाने का है। लीज का आंवटन का प्रकरण में कोई जिक नही किया है। जवाब दावे के साथ कोई रेकार्ड पेश नही किया है। लिखित सहमति रजिस्टर्ड है अथवा नही है जिसका कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। एविडेन्स एक्ट की धारा 115 के अनुसार प्रतिवादी के कथन विरोधाभाषी है। वादी की 1/4 हिस्से की खातेदारी है जो समाप्त नही हो सकती है। मुआवजा तय का अधिकार जिला कलक्टर महोदय को है। आदेश 7 नियम 11 के साथ शपथ पत्र नही प्रस्तुत किया गया है। टिनेन्सी एक्ट के Schedule 3 के अनुसार कृषि भूमि का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारीज करे और तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण पर निर्णय करे।

सविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार वादपत्र का नामंजुर किया जाना – वादपत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजुर कर दिया जाएगा –

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मुल्याकंन कम किया गया है और वादी मुल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में अफसल रहता है।

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मुल्याकन ठीक है, किन्तु वादपत्र अपार्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है, और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है,और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है,ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल किया गया है।

(च) जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वर्तमान प्रकरण में ग्राम माण्ड का खेड़ा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर में अवस्थित कृषि आराजियात है जिससे जुड़े किसी विवाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय हाजा को प्राप्त है। वादपत्र में हेतुक का अंकन वादपत्र की कलम संख्या 6 में अंकित किया गया है। अतः सीपीसी आदेश 7 नियम 11 के आधार (क) और अनुतोष के मुल्याकंन से सम्बधित आधार, (ख) एवं अपर्याप्त स्टाम्प पत्र का आधार, (ग) यहाँ लागू नही है। वादपत्र डुप्लीकेट फाइल किया गया है अतः आधार (ड.) लागु नही है। आधार (घ) के परिपेक्ष्य में वादपत्र में वादी द्वारा इस आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया है कि वादवर्णित आराजियात का वादी 1/4 हिस्से का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। वादी ने विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाने का अनुतोष चाहा है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अवैध रूप से कोई माईनिंग नही तथा ऐसा कृत्य नही करे जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े वो वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे न ही उक्त भूमि में खड्डे करे, मशीन केने लगावे न यह कृत्य स्वयं न ही नौकरो ऐजेन्टो व परिजनों से करावे। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में सहखातेदारों के मध्य विभाजन का वाद पूर्व में ही

न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 77/22 है। मूल वाद में संलग्न जमाबन्दी में उक्त आराजियात को खनन क्षेत्र के रूप में रिकॉर्डेड नही है, न ही ऐसा कोई नोट का अंकन है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व ग्राम माण्ड का खेड़ा पटवार मोखुन्दा तहसील रायपुर में अवस्थित कृषि आराजियात है जिसका की वादी 1/4 हिस्से का अभिलिखित खातेदार है, तथा उक्त आराजियात के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः वाद विधिविरूद्व प्रतीत नही होता है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यो के सम्बन्ध में प्रकरण में तनकियात कायम करते हुए प्रकरण से जुड़े सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। ऐसे में आधार (घ) के परिप्रेक्ष्य में वादपत्र विधि विरूद्व प्रतीत नही होता है। अतः प्रकरण में सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अस्वीकार किया जाता है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में समान पक्षकारों के मध्य लम्बित विभाजन के पूर्ववर्ती वाद अन्तर्गत धारा 53 के बारे में अवगत कराया गया। जिसकी तारीख पेशी भी आज ही है। न्यायालय ने दोनो प्रकरणों की पत्रावलियों का आवलोकन करने से पाया कि वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 77/2022 अर्न्तगत धारा 53 विभाजन का वाद पूर्ववर्ती वाद है तथा प्रकरण संख्या 51/2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का पश्चातवर्ती वाद है एवं दोनो ही वादों में पक्षकार समान है। पश्चातवर्ती वाद का निर्णय पूर्ववर्तीवाद के निर्णय से प्रभावित रहेगा। ऐसे में सीपीसी की धारा 10 से पश्चातवर्ती वाद प्रभावित है।

सीपीसी की धारा 10 के अनुसार " कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिसने व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नही करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा

किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है। ''

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 10 के अनुसार, यदि किसी सक्षम न्यायालय में समान पक्षों के बीच पहले से चल रहे मुकदमे में विवादित मुद्दा प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से लंबित है, तो बाद में दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है। इसका उद्देश्य कई मुकदमों को रोकना और परस्पर विरोधी निर्णयों से बचना है।

धारा 10 और समेकन के प्रमुख पहलूः–एक ही विषय वस्तु वाले मुकदमों में समानांतर सुनवाई और विरोधाभासी निष्कर्षों को रोकना। स्थगन की शर्तेः दो मुकदमे मौजूद हैं, उनमें वही पक्ष शामिल हैं, मामला प्रत्यक्ष/सारतः समान है, और पहला मुकदमा लंबित है।

अंतर्निहित शक्तिः–न्यायालयों के पास साक्ष्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मुकदमों को समेकित करने का विवेक है, भले ही सीपीसी की सभी धाराओं में इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान न हो।

अतः वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वर्तमान प्रकरण संख्या 51/2025 पश्चातवर्ती होने से, पूर्ववर्ती वाद प्रकरण संख्या 77/2022 अन्तर्गत धारा 53 के निर्णय से प्रत्यक्षतः एवं सारतः प्रभावित है। तथा पश्चातवर्ती वाद में पूर्ववर्ती वाद के निर्णय के आधार पर न्यायिक प्रकिया आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित है। ऐसे में प्रकरण संख्या 51/2025 को पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 77/2022 के साथ संलग्न करते हुए वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 77/2022 में की जायेगी। तथा वर्तमान प्रकरण संख्या 51/2025 में आगामी कार्यवाही उक्त पूर्ववर्ती प्रकरण के निस्तारण तक रोकी जाती है, एवं प्रकरण को पूर्ववर्ती प्रकरण के साथ संलग्न किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर नम्बर से कम हो।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला-पीलवाड़ा